तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	श्रीमती बृजेश कुमारी बनाम श्रीमती नन्दो वगै०	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 9/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित। तहसीलदार उच्चैन से रिपोर्ट प्राप्त की शामिल मिसल हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित अभि० वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित। वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हुआ। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 39 / 2024

वृजेश कुमारी पुत्री मंगलसिंह पत्नि महीपाल सिंह जाति गूर्जर निवासी कंकडवाली कुईया राधा कृष्ण कालौनी अटलबन्द भरतपुर राज0।

...................वादिनी

बनाम

1. चन्दो पत्नि श्यामलाल
2. सुमरनसिंह पुत्र श्यामलाल
3. पूरनसिंह पुत्र श्यामलाल
4. तेजसिंह पुत्र श्यामलाल समस्त जातियान गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
5. हीरो पुत्री श्यामलाल पत्नी शेखर जाति गूर्जर निवासी पावटा तह0 महुआ, दौसा।
6. गीता पुत्री श्यामलाल पत्नी श्यामसिंह जाति गूर्जर निवासी लखनपुर तह0 वैर।
7. रामदेई पत्नी पंकर सिंह जाति गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
8. महेश
9. पुष्पेन्दर पुत्रान शंकरसिंह जाति गूर्जर निवासी उच्चैन।
10. राजो पुत्री शंकर सिंह पत्नी जयपालसिंह जाति गूर्जर निवासी धमारी तह0 डीग।
11. कुषमा पुत्री शंकरसिंह पत्नी वासुदेव जाति गूर्जर निवासी धमारी तह0 डीग।
12. रेखा पुत्री शंकरसिंह पत्नी वच्चूसिंह जाति गूर्जर निवासी कमालपुरा तह0 वैर।
13. हरीसिंह पुत्र रामचन्द जाति गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
14. भवानसिंह
15. मगन सिंह
16. थानसिंह पुत्रान वलवीर सिंह जाति गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
17. हरप्यारी वेवा मंगलसिंह जाति गूर्जर निवासी तुहियापट्‌टी उच्चैन भरतपुर।
18. सीमा पुत्री मंगलसिंह पत्नी दयालसिंह जाति गूर्जर निवासी खेडलीगूर्जर तह0 वैर भरतपुर।
19. राज0 सरकार जरियेः–
    3. अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड वयाना भरतपुर।
    4. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड उच्चैन।
20. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास भरतपुर।

.............प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

निर्णय दिनांकः–28.05.2025

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 944/529 रकवा 17 बीघा, 945/529 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा, 943/529 रकवा 16 बीघा बाके ग्राम जुगला पट्टी उच्चैन में स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बरान का पहले खसरा नम्बर 529 था जिसका मौके पर विभाजन किये बिना तीन पृथक–पृथक खसरा नम्बरान में विभक्त कर कुरे एवं पृथक खाते कायक कर दिये गये है जबकि मौके पर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है और राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नम्बर की आज तक तरमीम नहीं की गई है तीनों खसरा नम्बर आज भी राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 529 से दिखाये गये है विवादित आराजी के पृथक खाते कायम करने से पूर्व खातेदारान को सुना ही नहीं गया है। विवादित आराजी के वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 18 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है व सभी अभी तक मौके पर अपने हिस्से के मुताबिक सम्मलित रूप से काश्त कर रहे है विवादित आराजी के खसरा नम्बर 944/529 रकवा 17 बीघा में श्यामलाल पुत्र कल्यानसिंह 1/3 भाग का खातेदार था जिसका देहान्त हो गया है व उसके हिस्से के विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 6 वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये है इसी आराजी में 1/3 हिस्सा का खातेदार मंगलसिंह था जिसका देहान्त हो गया है उसका हिस्सा वादिनी व प्रतिवादी संख्या 17 व 18 को वाहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। इसी आराजी में 1/6 हिस्से का शंकर सिंह खातेदार था जिसका देहान्त हो गया है उसका हिस्सा विरासत के आधार पर वाहिस्सा बराबर प्रतिवादीगण 7 लगा0 12 को प्राप्त हुआ है व इसी आराजी में 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 12 है। खसरा नम्बर 943/529 रकवा 16 बीघा का खातेदार बलवीरसिंह था जिसका देहान्त हो गया है उसका हिस्सा बाहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 14 लगा0 16 को प्राप्त हुआ है खसरा नम्बर 945/529 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा प्रतिवादी संख्या 19 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजी में सभी सहखातेदार सम्मिलित रूप से मौके पर काश्त करते चले आ रहे है व प्रतिवादी संख्या 19 के हिस्से में उच्चैन से रूदावल सडक का निर्माण हो चुका है जिसके कारण सहखातेदारान के मध्य झगडा होता रहता है व नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण बिना किसी विभाजन के सडक के सहारे वाली जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है। दिनांक 28.01.2014 को वादिनी जब अपनी आराजी की देखभाल करने मौके पर गयी तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये एवं वादिनी को उक्त आराजी से बेदखल करने एवं आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी जिसके कारण वादिनी ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.01.2017 को प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये। दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण में अखबार साया किये जाने की आज्ञा पारित की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

दिनांक 27.02.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 17 व 19 वावजूद अखवार साया उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 20.03.2018 को प्रति0 संख्या 18 के अभिभाषक द्वारा जवाव वंद किये जाने का निवेदन किया प्रति0 संख्या 18 का जवाव वंद किया गया। तहसीलदार उच्चैन ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम जुगलापट्टी के आराजी ख0नं0 945/529, 943/529 944/529 में नक्शा में तरमीम चाही गई है। उक्त प्रकरण की रिकार्ड से जांच की गई तो पाया कि ग्राम जुगलापट्टी के ख0नं0 945/529, 943/529 944/529 के दौराने वन्दोवस्त नये खसरा नम्वर 723, 733, 734 वनाकर नक्शाशीट में पृथक–पृथक नम्वर वना दिये गये है। अभिभाषक वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दयालचन्द एवं वृजेश कुमारी के शपथ पत्र पेश किये। अभिभाषक वादी की वहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि मुल खाता संख्या 529 के कानूनी विभाजन में 3 हिस्से हो गए एवं इनका राजस्व रिकार्ड एवं जमावंदी में विभाजन हो गया लेकिन नक्शा गट्ठा में तरमीम नहीं किये गये है। सभी सहखातेदान के खाते अलग हो गये है। नक्शे गट्ठे में तरमीम हेतु वाद पेश किया है। राजस्व नक्शे में मूल खसरा नम्वर 529 के स्थान पर विभाजित तीनों का इन्द्राज तरमीम किया जाकर आराजी विवादित का प्रतिवादीगण व वादिनी के मध्य वटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में कुरे कायम किये जाने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्या जमावंदी सम्वत् 2068–2071 का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जवाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव के मुताबिक विवादित आराजी के दौराने सैटलमेंन्ट नये खसरा नम्वर 723, 733, 734 बनाकर नक्शाशीट में पृथक–पृथक नम्वर वनाकर तरमीम कर दी गई है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र वादी का कोई औचित्य शेष नहीं वचता है। वादपत्र वादी खारिज किये जाने योग्य है।

–:अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादी खारिज किया जाती है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

बृजेश कुमारी वनाम चन्द्री वगैरा

दावा वावत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 39/2024 (पुराना 05/2014) सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–व–रू हमारे

व हाजरी श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवो मिनजानिव

मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता

है व डिकरी दी जाता है कि वाद पत्र वादी खारिज की जाता है।

आज मुवलिग वावत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज

की तारीख से तारीख वसूलयावी तक का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 05 वर्ष 25

को जारी की गई।

दस्तखत Bharti

मुहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील)पर		
महनताना वकील)पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 39/2024

वृजेश कुमारी पुत्री मंगलसिंह पत्नि महीपाल सिंह जाति गूर्जर निवासी ककराली कुईया राधा कृष्ण कालौनी अटलवन्द भरतपुर राज0।

......................वादिनी

बनाम

1. चन्दो पत्नि श्यामलाल
2. सुमरनसिंह पुत्र श्यामलाल
3. पूरनसिंह पुत्र श्यामलाल
4. तेजसिंह पुत्र श्यामलाल समस्त जातियान गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
5. हीरो पुत्री श्यामलाल पत्नी शेखर जाति गूर्जर निवासी पावटा तह0 महुआ, दौसा।
6. गीता पुत्री श्यामलाल पत्नी श्यामसिंह जाति गूर्जर निवासी लखनपुर तह0 वैर।
7. रामदेई पत्नी पंकर सिंह जाति गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
8. महेश
9. पुष्पेन्दर पुत्रान शंकरसिंह जाति गूर्जर निवासी उच्चैन।
10. राजो पुत्री शंकर सिंह पत्नी जयपालसिंह जाति गूर्जर निवासी धमारी तह0 डीग।
11. कुपमा पुत्री शंकरसिंह पत्नी वासुदेव जाति गूर्जर निवासी धमारी तह0 डीग।
12. रेखा पुत्री शंकरसिंह पत्नी बच्चूसिंह जाति गूर्जर निवासी कमालपुरा तह0 वैर।
13. हरीसिंह पुत्र रामचन्द जाति गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
14. भवानसिंह
15. मगन सिंह
16. थानसिंह पुत्रान बलवीर सिंह जाति गूर्जर निवासी उच्चैन भरतपुर।
17. हरप्यारी बेवा मंगलसिंह जाति गूर्जर निवासी तुहियापट्टी उच्चैन भरतपुर।
18. सीमा पुत्री मंगलसिंह पत्नी दयालसिंह जाति गूर्जर निवासी खेड़लीगूर्जर तह0 वैर भरतपुर।
19. राज0 सरकार जरियेः–
   3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बयाना भरतपुर।
   4. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड उच्चैन।
20. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास भरतपुर।

......................प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)